रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 1974/फाल्गुन 6, 1895

No. 84] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 1974/PHALGUNA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1974

S.O. 118(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Gujarat is hereby published:—

ORDER NO. 10

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures, having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Gujarat as twenty-six (26) of which 2 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 4 seats for the Schedule Tribes and the total number of seats to be assigned to the

Legislative Assembly of the State as one hundred and eighty-two (182) of which 12 seats shall be reserved for the Scheduled Castes and 25 seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]

By order,

P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1974

का० आ० 118(अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन गुजरात राज्य के बारे में किया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश सं० 10

परिसीमन अधिनियम 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य को लोक सभा में आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या छब्बीस (26) जिनमें से दो (2) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और चार (4) स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानीय करने और इस राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ बयासी (182) जिनमें से बारह (12) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और पच्चीस (25) स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष।
तरुण कुमार बसु, सदस्य।
ति० स्वामीनाथन्, सदस्य।

[282/74(2)]

आदेश से,

पी० आई० जेकब, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974